

यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

तारीख रजू :- 20/5/2025

क्र 90 / 2025

दावा बाबत तकारमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

ई0डी0 नम्बर 2025/206

उनवान

श्री बाबूलाल पत्नि खेमराज जाति कोली निवासी हिण्डौन हालवासी अन्नपूर्णा चक्की  
रतलाम मध्यप्रदेश

—वादिया

बनाम

श्री बुद्धराम जाति कोली निवासी झारेडा रोड, कोलियों का मौहल्ला हिण्डौन जिला  
राजस्थान

—प्रतिवादीगण-21

फर्द अहकाम

क

19/6/2025 यह दावा वादीगण की ओर से श्री राधेश्याम शर्मा एडवोकेट के जरिए पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 19.06.2025 को पेश हो।

(हेमराज गुर्जर)  
उप खण्ड अधिकारी  
हिण्डौन जिला करौली

3276-96  
22/5/25

19/6/2025 पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी राजकार्य में बाधित। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 3/10/25 को पेश है।

14/7/2025 आज यह पत्रावली वादीगण सुनीता के पत्र पर तलव की गई। वादीगण ने पत्रावली पत्र पेश कर निवेदन किया कि पत्रकारों के मध्य राजीनामा हो गया। Notifies हो अब मैं अपने मुकाम को Not Present करना सुनीता चाहती हूँ। उक्त दावे को कोर्ट चलाना नहीं चाहती हूँ।

कारण: वादीगण के द्वारा प्रस्तुत पत्रावली पत्र के आधार पर क्र. 90/2025 उनवानी सुनीता v/s अंगूरी वर्ग के दावा वाकत तकारमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा को नोटिस में खारिज किया जाता है। पत्रावली के मूल प्रमाणों को वाद तफसील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तार है। कोर्ट के न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी  
हिण्डौन जिला (करौली)